WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-06122024-259216
CG-MH-E-06122024-259216

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 973] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 5, 2024/ अग्रहायण 14, 1946
No. 973] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 5, 2024/ AGRAHAYANA 14, 1946

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 4 दिसम्बर, 2024

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/216—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024 कहा जा सकेगा।
2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 में, विनियम 30क के स्थान पर निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

"संक्षिप्त कार्यवाहियाँ

30क. (1) इन विनियमों (रेग्यूलेशन्स) में दी हुई किसी भी बात के होते हुए भी, इस विनियम में बताई गई प्रक्रिया:

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

(क) उस स्टॉक दलाल (ब्रोकर) या उस क्लीयरिंग मेम्बर (समाशोधन सदस्य) पर लागू होगी, जिसके संबंध में बोर्ड को, यथास्थिति, उन सभी स्टॉक एक्सचेंजों या उन सभी क्लीयरिंग कारपोरेशन (समाशोधन निगमों) [जिनका वह सदस्य (मेम्बर) रहा हो] से यह सूचना प्राप्त हुई हो कि उस स्टॉक दलाल या क्लीयरिंग मेम्बर की सदस्यता खारिज कर दी गई है;

(ख) उस डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट (निक्षेपागार सहभागी) पर लागू होगी, जिसके संबंध में बोर्ड को उन सभी डिपॉज़िटरी (निक्षेपागारों) [जिनका वह सहभागी (पार्टिसिपेंट) रहा हो] से यह सूचना प्राप्त हुई हो कि डिपॉज़िटरी द्वारा उस डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट के साथ किया गया करार (एग्रीमेंट) समाप्त कर दिया गया है;

(ग) उस व्यक्ति पर लागू होगी, जिसने किसी प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) या किन्हीं प्रतिभूतियों में निवेश करने पर होने वाले मुनाफे या उसके परफॉर्मेंस को लेकर दावा किया हो (दावे किए हों), लेकिन उस मामले में लागू नहीं होगी यदि बोर्ड ने उसे ऐसा दावा (ऐसे दावे) करने की मंजूरी दी हो;

(घ) उस व्यक्ति पर लागू होगी, जिसने, लागू संबंधित विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड को या किसी अन्य निर्धारित निकाय (बॉडी) को फीस अदा न की हो;

(ङ) उस व्यक्ति पर लागू होगी, जिसका पता और उसका ईमेल आईडी तो बोर्ड के रिकॉर्ड में उपलब्ध हो, लेकिन न तो वह अपने दिए पते पर मिल रहा हो और न ही उससे ई-मेल पर कोई संपर्क हो पा रहा हो;

(च) उस व्यक्ति पर लागू होगी, जिसने बोर्ड को समय-समय पर प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्टें लगातार तीन बार प्रस्तुत न की हों या उतनी बार प्रस्तुत न की हों, जैसा कि संबंधित विनियमों (रेग्यूलेशन्स) या उनके तहत जारी किए गए परिपत्रों (सर्कुलर) में जिक्र किया गया हो;

(छ) उस व्यक्ति पर लागू होगी, जिसने प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) से संबंधित कानूनी प्रावधानों में से किसी प्रावधान का अथवा बोर्ड द्वारा जारी किए गए किसी निदेश, अनुदेश या परिपत्र (सर्कुलर) का उल्लघंन करने की बात मान ली हो।

(2) सक्षम प्राधिकारी उस व्यक्ति को एक सूचना (नोटिस) जारी करेगा जिसका जिक्र उप-विनियम (1) में किया गया है, जिसमें यह बताया जाएगा कि इस विनियम के तहत कार्यवाहियाँ (प्रोसीडिंग्स) क्यों शुरू की जा रही हैं और उस व्यक्ति पर किस-किस उल्लंघन (किन-किन उल्लंघनों) का आरोप है।

(3) जिस नोटिसी को उप-विनियम (2) के तहत सूचना (नोटिस) जारी की गई हो, उसे अपना (अपने) जवाब आदि [यदि उसे देना हो (देने हों)], सूचना (नोटिस) प्राप्त होने की तारीख से इक्कीस कैलेंडर दिनों के भीतर, केवल लिखित रूप में प्रस्तुत करना होगा (करने होंगे) जिसके साथ सबूत के तौर पर कागज़ात (यदि कोई हों) भी प्रस्तुत करने होंगे, और यह भी बताना होगा कि अधिनियम और उसके तहत बनाए गए विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के तहत प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रद्द या निलंबित क्यों न किया जाए:

परंतु यह कि सक्षम प्राधिकारी, लिखित रूप में जवाब आदि प्रस्तुत करने के लिए नोटिसी को ज्यादा से ज्यादा और पंद्रह कैलेंडर दिनों का समय दे सकेगा, लेकिन सक्षम प्राधिकारी को इसके कारण रिकॉर्ड में दर्ज करने होंगे कि इस तरह से उसे और समय क्यों दिया गया है।

(4) उप-विनियम (3) के अनुसार नोटिसी को जितना और समय दिया जा चुका हो, उसके बाद उसे कोई और समय नहीं दिया जाएगा।

(5) मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री और लिखित रूप में प्रस्तुत किए गए जवाबों आदि (यदि कोई हों) पर गौर करने के बाद, सक्षम प्राधिकारी -

(i) नोटिसी से लिखित रूप में जवाब आदि प्राप्त होने की तारीख से इक्कीस कैलेंडर दिनों के भीतर आदेश पारित करने का प्रयास करेगा; या

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

(ii) यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उप-विनियम (3) के तहत लिखित रूप में जवाब आदि प्रस्तुत करने के लिए कुछ और समय भी दिया गया हो और उस समय तक भी कोई लिखित जवाब प्रस्तुत न किया गया हो, तो ऐसे में वह समय पूरा होने की तारीख से इक्कीस कैलेंडर दिनों के भीतर आदेश पारित करने का प्रयास करेगा।

(6) इस विनियम के तहत शुरू की गई कार्यवाहियों का निपटारा करते समय व्यक्तिगत सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।

(7) सक्षम प्राधिकारी नोटिसी का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रद्द करने या निलंबित करने के संबंध में उपयुक्त आदेश अथवा कोई अन्य आदेश, जैसा वह ठीक समझे, पारित करेगा।

(8) सक्षम प्राधिकारी, ऐसा आदेश पारित करते समय, नोटिसी पर ऐसी शर्तें लगा सकेगा, जो वह निवेशकों या नोटिसी के ग्राहकों या प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) के हित-संरक्षण के लिए ठीक समझे।

(9) आदेश पारित करते समय, सक्षम प्राधिकारी, जहाँ भी जरूरी लगे, निम्नलिखित के संबंध में नोटिसी से जवाब (जिससे बोर्ड संतुष्ट हो सके) देने के लिए कह सकेगा:

(क) संबंधित विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के तहत जो रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेज रखे जाने जरूरी हों, उन्हें रखने और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए किए गए इंतज़ामों के संबंध में;

(ख) निवेशकों की शिकायतों के निवारण के संबंध में;

(ग) उसके ग्राहकों (क्लाइंट) के रिकॉर्ड, पैसों (निधियों / फंड) या प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) के अंतरण (ट्रांसफर) के संबंध में;

(घ) ग्राहकों (क्लाइंट) को सेवा लगातार मिलती रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए किए गए इंतजामों के संबंध में;

(ङ) चूकों (डिफॉल्ट) या लंबित कार्रवाई, यदि कोई हो, के संबंध में;

(च) निवेशकों या नोटिसी के ग्राहक (ग्राहकों) या प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) के हित-संरक्षण के मद्देनज़र अन्य शर्तों के संबंध में।

(10) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने की तारीख से ही, नोटिसी तुरंत-

(क) इस प्रकार रद्द किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र बोर्ड को लौटा देगा (यदि वह कागज़ी रूप में जारी किया गया हो) और किसी भी उद्देश्य से अपने बारे में यह नहीं बताएगा कि उसके पास प्रमाणपत्र है;

(ख) ऐसा कोई कार्य आदि करना बंद कर देगा, जिसके लिए उसे प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था;

(ग) अपने कार्य आदि ऐसे किसी दूसरे व्यक्ति को सौंप (ट्रांसफर कर) देगा जिसके पास ऐसे कार्य आदि करने के लिए मान्य रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र हो; अथवा अपने ग्राहकों या निवेशकों को वे शेयर आदि (प्रतिभूतियाँ / सिक्यूरिटीज़) या वह पैसा (निधियाँ / फंड) निकालने या उन्हें अंतरित (ट्रांसफर) करने की अनुमति देगा जो उसके पास पड़े हों या रखा हो; अथवा उन्हें ऐसा कोई कार्य आदि वापस लेने की अनुमति देगा जो उसे सौंपा गया हो और जिसके लिए वह ग्राहक या निवेशक से किसी भी प्रकार का कोई और शुल्क आदि भी नहीं लेगा;

(घ) अपने ऐसे किसी दायित्व के संबंध में प्रावधान करेगा, जो उसे पूरे करने हों या उसे पूरे करने पड़ सकते हों;

(ङ) उस समयावधि के भीतर और उसी प्रकार ऐसी अन्य कार्रवाई करेगा [जिसमें निवेशकों के ऐसे किसी रिकॉर्ड (किन्हीं रिकॉर्डों) या किसी दस्तावेज (किन्हीं दस्तावेजों) और उनके शेयरों आदि (प्रतिभूतियों / सिक्यूरिटीज़) या उनके पैसों, जो ऐसे व्यक्ति के पास हों या उसके नियंत्रण में हों, के संबंध में कार्रवाई करना भी शामिल है], जैसा संबंधित विनियमों के तहत जरूरी हो अथवा जैसा सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस विनियम के तहत आदेश पारित करते समय निदेश दिया जाए।

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

(11) इस विनियम के तहत पारित किए गए आदेश की एक प्रति –

(क) नोटिसी को भेजी जाएगी;

(ख) यथास्थिति, स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) या क्लीयरिंग कारपोरेशन (क्लीयरिंग कारपोरेशन्स) या डिपॉज़िटरी (डिपॉज़िटरीज़) या उस निकाय (बॉडी) या कंपनी (बॉडी कारपोरेट) को भेजी जाएगी, जिसे मध्यवर्ती (इंटरमीडियरीज़) का पर्यवेक्षण आदि करने के लिए बोर्ड द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो, और उनकी वेबसाइटों पर अपलोड भी की जाएगी।

(ग) बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।"

बबीता रायुडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./742/2024-25]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/11/126538, द्वारा 26 मई, 2008 को भारत के राजपत्र, भाग-III, खंड-4 में प्रकाशित हुए थे।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 तत्पश्चात् :-

क) 11 अगस्त, 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2008, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/20/134766, द्वारा

ख) 14 जुलाई, 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2009, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2009-10/12/169546, द्वारा

ग) 7 जनवरी, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक)] विनियम, 2014, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/36/12, द्वारा

घ) 25 मई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/006, द्वारा

ङ) 21 नवम्बर, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/021, द्वारा

च) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा

छ) 21 जनवरी, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/07, द्वारा

ज) 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/20, द्वारा

झ) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा

ञ) 17 नवम्बर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/59, द्वारा

ट) 1 अगस्त, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/आईएडी-एनआरओ/जीएन/2022/91, द्वारा

ठ) 29 अगस्त, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2024, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/201, द्वारा

संशोधित हुए थे।

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 4th December, 2024

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (INTERMEDIARIES) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2024

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/216―In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008, namely: –

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Second Amendment) Regulations, 2024.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008, regulation 30A shall be substituted with the following regulation, namely, -

"Summary Proceedings

30A (1). Notwithstanding anything contained in these regulations, the procedure as provided under this regulation shall be applied to -

(a) the stock broker or a clearing member, in respect of which intimation has been received by the Board from all the stock exchange(s) or the clearing corporation(s), as the case may be, of which it was a member, that such stock broker or clearing member has been expelled as its member;

(b) a depository participant, in respect of which intimation has been received by the Board from all the depository(ies) where the participant was admitted, that the depository participant agreement has been terminated by the depository(ies);

(c) a person found to have made claim(s) of return or performance in respect of or related to a security or securities, unless otherwise permitted by the Board to make such claim(s);

(d) a person which fails to pay the fees, to the Board or to such body as may be specified, in terms of provisions of the relevant regulations governing such a person;

(e) a person not traceable at its physical address and email address available in the records of the Board;

(f) a person which has failed to submit periodic reports to the Board for three consecutive periods or such other period(s) as may be specified in the relevant regulations or circulars issued thereunder which govern such a person;

(g) a person which has admitted to have violated any of the provisions of the securities laws or directions, instructions or circulars issued by the Board.

(2) The competent authority shall issue a notice to the person referred to in sub-regulation (1) communicating the grounds for initiation of the proceedings under this regulation and the violation(s) alleged to have been committed by such person.

(3) The notice issued under sub-regulation (2) shall require the noticee to make submission(s), if any, within twenty-one calendar days from the date of receipt of the notice, only through a written response, along with documentary evidence, if any, as to why the certificate of registration granted under the Act and the regulations made thereunder shall not be cancelled or suspended:

Provided that the competent authority may, for the reasons to be recorded, permit the noticee to submit a written response within a further period not exceeding fifteen calendar days.

(4) No further opportunity beyond the timelines specified in sub-regulation (3) shall be allowed.

(5) After considering the facts and circumstances of the case, material on record and the written submissions, if any, the competent authority shall endeavor to pass an order within twenty-one calendar days from—

(i) the date of receipt of the written submissions of the noticee; or

(ii) the date of expiry of the time period granted by the competent authority to file the written submissions under sub-regulation (3), in case no written submissions are filed within the specified period.

(6) No opportunity of personal hearing shall be granted while disposing of the proceedings initiated under this regulation.

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

(7) The competent authority shall pass an appropriate order of cancellation or suspension of the certificate of registration of the noticee or any other order, as deemed fit.

(8) The competent authority may, while passing the order, impose such conditions upon the noticee as it deems fit to protect the interest of the investors or the clients of the noticee or the securities market.

(9) While passing the order, the competent authority shall, wherever considered necessary, require the noticee to satisfy the Board on the following—

(a) arrangements made for maintenance and preservation of records and other documents as required under the relevant regulations;

(b) redressal of investor grievances;

(c) transfer of records, funds or securities of its clients;

(d) arrangements made for ensuring continuity of service to the clients;

(e) defaults or pending action, if any;

(f) such other conditions in the interest of investors or the client(s) of the noticee or the securities market.

(10) On and from the date of cancellation of the certificate of registration, the noticee shall forthwith –

(a) return to the Board the certificate of registration so cancelled, if the same has been issued in the physical form and shall not represent itself to be a holder of the certificate for any purpose;

(b) cease to carry on any activity in relation to which the certificate had been granted;

(c) transfer its activities to another person holding a valid certificate of registration to carry on such activity or allow its clients or investors to withdraw or transfer their securities or funds held in its custody or to withdraw any assignment given to it, without any additional cost to such client or investor;

(d) make provisions as regards any liability incurred or assumed by it;

(e) take such other action including action relating to any record(s) or document(s) and securities or money of the investors that may be in the custody or control of such person, within the time and in the manner, as may be required under the relevant regulations or as may be directed by the competent authority while passing the order under this regulation.

(11) A copy of the order passed under this regulation shall be–

(a) sent to the noticee;

(b) sent to the stock exchange(s) or the clearing corporation(s) or the depository(ies) or the body or body corporate recognized by the Board for administration and supervision of the intermediary, as the case may be, and shall be uploaded on their respective websites; and

(c) uploaded on the website of the Board."

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./742/2024-25]

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008 was published in the Gazette of India, Part III Section 4 on May 26, 2008 vide notification No. LAD-NRO/GN/2008/11/126538.
2. The Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008 was subsequently amended on: -

   a) August 11, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2008, vide notification No. LAD-NRO/GN/2008/20/134766.

   b) July 14, 2009 by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2009, vide notification no. LAD-NRO/GN/2009-10/12/169546.

   c) January 7, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2014, vide notification no. LAD-NRO/GN/2013-14/36/12.

   d) May 25, 2016 by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2016, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/006.

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

e) November 21, 2017, by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2017, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/021.

f) April 17, 2020, by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.

g) January 21, 2021, by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/07.

h) May 5, 2021, by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Second Amendment) Regulations, 2021,vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/20.

i) August 3, 2021, by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.

j) November 17, 2021,by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Third Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/59.

k) August 1, 2022, by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2022, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/91.

l) August 29, 2024, by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2024, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/201.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.